2.05.13

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 76/ 12 – 13
सुमित्रा देवी एवं अन्य वनाम कईल रजवार एवं अन्य
आदेश

आवेदिका सुमित्रा देवी पति अखिलेश शर्मा,राम विनेश शर्मा पिता स्व०रामानन्द शर्मा,विजय शर्मा पिता स्व०राम दास शर्मा सभी साकिन टोला गिरवर बिगहा थाना कलेर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित जमीन जो मौजा बेलसार थाना मेहन्दिया जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
98	21/3052	$19\frac{1}{2}$डी०	उ० – रामलगन राम वो मुसाढ़ी राम द० – गौरी शंकर सिंह वो रधुनंदन सिंह पू० – नीज वो विजय शर्मा के साथ प० – द्वारिका सिंह,धीरेन्द्र सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादीगण सुमित्रा देवी एवं राम विनेश शर्मा ने वसिका सं०3279 दिनांक 05.09.11 द्वारा सुशिला देवी पति स्व०भुवनेश्वर सिंह ग्राम अमीर बिगहा थाना कलेर से विवादित जमीन का 9.5 डी०जमीन कय किया है ज़बकि अन्य वादी श्री विजय शर्मा ने वसिका सं०3278 दिनांक 05.09.11 द्वारा उसी सुशिला देवी से विवादित जमीन का 9.5 डी जमीन कय किया है और डीमान्ड खुलाकर रसीद कटा रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण वादीगणों के उक्त भूमि से बेदखल कर दिया है। अतः विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खाता नं०98 प्लॉट नं०3052 जानिब पूरब तरफ रकवा 10 कट्ठा जिसका चौहद्दी उ० – रामधनी दुसाध द० – सौदागर महतो पू० – सौदागर महतो प० – नीज अवस्थित मौजा बेलसार थाना मेहन्दिया जिला अरवल की भूमि केवाला सं० 3633/1933 द्वारा तिलेसर महतो वनाम् श्री रामलल्ला ठाकुरबाड़ी मेहन्दिया को रजिस्टर्ड केवाला से प्राप्त है और उक्त जमीन का दाखिल खारिज श्री रामलल्ला ठाकुर जी महाराज मेहन्दिया सेवक महंथ रामकिशोर दास के नाम से हो गया है और राजस्व रसीद का भूगतान भी मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा बिहार सरकार को किया जाता रहा है। प्रश्नगत भूमि श्री रामलल्ला ठाकुर जी महाराज के सेवायत के देख रेख में बटाईदारी में कृषि कार्य के लिए कईल रजवार पिता स्व०जटटू रजवार को दिया गया है। विदित है कि कईल रजवार एवं उनके पूत्र महेश रजवार दोनों मिलकर प्रश्नगत भूमि में खेती बारी करके

अन्न उपजाकर ठाकुरबाड़ी प्रबंधन समिति को देते है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर गिद्व दृष्टि लगाये हुए है और अवांछित तथा गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेना चाहते है। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदकगण सुमित्रा देवी वो राम विनेश शर्मा एवं विजय शर्मा ने दो अलग अलग बसिकाओं से विवादित जमीन खाता 98 खेसरा 3052 के 9.5 – 9.5 डी०जमीन क्रय किया है। विपक्षी विवादित जमीन पर दावा केवाला सं० 3633/1933 के आधार पर किया है,परन्तु उनके द्वारा न तो उक्त केवाला की प्रति दाखिल की गई है और न ही कोई अन्य दस्तावेज। बगैर कोई दस्तावेज विपक्षी के उक्त दावा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकार आवेदक के दावा को स्वीकृत करती है। अंचल अधिकारी कलेर को आदेश दिया जाता है कि वे एक महीना के बाद विवादित जमीन पर केवाला के चौहद्दी एवं रकवा के अनुसार आवेदकण को 9.5 – 9.5 डी०पर कब्जा दिलाये और अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में सौपे।

लेखापित एवं संशोधित

2.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

2.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।